भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 217*
(03 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधान मंत्री आवास योजना में अनियमितताएं

***217. श्रीमती अपराजिता सारंगीः**

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अक्तूबर, 2019 में ओडिशा सरकार को प्रधान मंत्री आवास योजना-(ग्रामीण) के अंतर्गत अनियमितताओं के 32 मामले भेजे गए, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) पीएमएवाई (ग्रामीण) के अंतर्गत आवासों के आवंटन में विशेषकर ओडिशा के संबंध में अनियमितताओं संबंधी राज्य-वार कितने मामले, मंत्रालय के ध्यान में लाए गए हैं; और
(ग) सरकार ने इन अनियमितताओं के मामलों की जांच करने के लिए क्या कदम उठाए है तथा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

लोक सभा में दिनांक 03.12.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं. 217 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) ओडिशा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, माननीय संसद सदस्य ने 32 लाभार्थियों को प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) आवासों के आवंटन में अनियमितताओं के संबंध में पत्र लिखा था।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जांच के दौरान यह पाया गया कि 04 अपात्र व्यक्तियों ने पीएमएवाई-जी आवास लिए हैं तथा 04 अन्य व्यक्तियों ने अपनी पंजीकृत जमीन के बजाए दूसरी जमीन पर मकान बनाए हैं।

राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि गडमनित्री ग्राम पंचायत के तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार पंडा को 04 अपात्र लाभार्थियों का चयन करने के कारण निलंबित कर दिया गया है। लाभार्थियों से अवैध परितोषण लेने के कारण तीन व्यक्तियों नामत: श्री सिसीर कुमार मांगराज, पुत्र श्री शत्रुघ्न मांगराज, ग्राम-कपीलेश्वर, ग्राम पंचायत-गडमनित्री, श्री चित्त रंजन मोहराना, ग्राम-बालीबेरानी और श्री सच्चिदानंद साहू, पुत्र श्री मांगुली साहू, बालीबेरानी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

(ख) दिनांक 28.11.2019 की स्थिति के अनुसार, दिनांक 01.04.2016 से आवासों के आवंटन में अनियमितताओं सहित पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय में कुल 968 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। चूंकि पीएमएवाई-जी का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है, इसलिए इन शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई करने तथा उसकी सूचना इस मंत्रालय को देने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को भेज दिया गया है। ओडिशा राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्राप्त और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजी गई शिकायतों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन फ्रेमवर्क (ए॰ ए॰ आई) के अनुसार, प्रशासन के विभिन्न स्तरों अर्थात ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला तथा राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र बनाए गए हैं। शिकायतकर्ता की संतुष्टि के लिए शिकायतों का निपटान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर राज्य सरकार का एक अधिकारी पदनामित किया जाना होता है। प्रत्येक स्तर

पर पदनामित अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह शिकायत की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर उसका निवारण करे। शिकायत के निवारण के लिए प्रत्येक स्तर पर पदनामित शिकायत निवारण अधिकारी का ब्यौरा (नाम, टेली□ोन नम्बर और पता सहित) तथा शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होता है। केन्द्रीकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल (pgportal.gov.in) पर शिकायतें दर्ज करने की प्रक्रिया भी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में सीपीजीआरएएममएस के माध्यम से अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त शिकायतों को उनके निवारण के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया जाता है।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 03.12.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं. 217 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

दिनांक 01.04.2016 से 28.11.2019 तक पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त तथा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी गई शिकायतों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची		
क्र सं.	**राज्य का नाम**	**शिकायतों की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	2
2	असम	9
3	बिहार	143
4	छत्तीसगढ़	19
5	हरियाणा	8
6	जम्मू और कश्मीर	2
7	झारखंड	20
8	कर्नाटक	1
9	केरल	3
10	मध्य प्रदेश	57
11	महाराष्ट्र	32
12	मणिपुर	1
13	मेघालय	1
14	ओडिशा	**39**
15	पंजाब	13
16	राजस्थान	40
17	तमिलनाडु	9
18	तेलंगाना	2
19	त्रिपुरा	1
20	उत्तर प्रदेश	505
21	उत्तराखंड	7
22	पश्चिम बंगाल	54
कुल		**968**